भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3717
12.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना और एफएएमई योजना का कार्यान्वयन

3717. **श्री बृजमोहन अग्रवालः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना का ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार राज्य को किस प्रकार सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में तीव्र वृद्धि करने और उनके विनिर्माण हेतु क्या योजना है;

(ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के निवासियों से सरकार को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और आवेदनों की संख्या का ब्यौरा क्या है और कुल कितनी राजसहायता जारी की गई है;

(घ) इन राजसहायता सम्बंधी आवेदनों के संबंध में वर्तमान प्रतिपूर्ति स्थिति क्या है और इन लंबित पड़े आवेदनों के निपटान की समय-सीमा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य सरकार को वाहन सम्बंधी राजसहायता के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है और बकाया राशि का ब्यौरा क्या है और बकाया राशि के भुगतान में देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क), (ख) और (ङ): 13 मार्च 2024 को अधिसूचित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) 2024 को 778 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ई-दुपहिया और ई-तिपहिया के तीव्र अंगीकरण और उनके विनिर्माण पारितंत्र के विकास के लिए 1 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर 2024 तक छह महीने की अवधि के लिए लागू किया गया था।

11,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ (हाइब्रिड) और इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम चरण II (फेम-II) 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक लागू की गई। फेम-II स्कीम के तहत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया और ई-चौपहिया के लिए मांग प्रोत्साहन के साथ-साथ ई-बसों

और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए अनुदान भी प्रदान किया गया।

इन दोनों स्कीम के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसकी प्रतिपूर्ति भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को बाद में की जाती है। फेम-II स्कीम और ईएमपीएस 2024 के तहत, सब्सिडी के राज्यवार आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ): इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए फेम-II और ईएमपीएस 2024 के तहत सब्सिडी का दावा करने हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है। इन दोनों स्कीम के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहन के क्रय मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसलिए, छत्तीसगढ़ सहित इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों द्वारा फेम -II या ईएमपीएस 2024 के तहत सब्सिडी के लिए किसी भी लंबित आवेदन का प्रश्न ही नहीं उठता। फेम-II योजना और ईएमपीएस 2024 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

क्र. सं.	**अवधि**	**बेचे गए ईवी की संख्या**	**लाभार्थियों को दी गई सब्सिडी की कुल राशि (करोड़ रुपये में)**
1	फेम-II (01.04.2022 – 31.03.2024)	33,552	121.26
2	ईएमपीएस -2024 (01.04.2024 to 30.09.2024)	13,091	16.74

****